

नाम - डा. प्रदीप कुमार राय  
रसो. प्रोफेसर, राजनीति शास्त्र विभाग  
विषय - राजनीति शास्त्र  
कक्षा - बी. ए. (प्रतिष्ठा) पार्ट - 01;  
सत्र - 2019-20  
पेपर - 01  
अध्याय - 28

दिनांक - 06.05.2020

टॉपिक - व्यक्तिवाद की आलोचना -

व्यक्तिवाद के पक्ष में दिये गये तर्कों को आलोचक असत्य और एकान्ती मानते हैं। जहाँ निम्न आधारों पर स्पष्ट किया जा सकता है -

(1) राज्य एक बुराई नहीं - व्यक्तिवादियों द्वारा राज्य को एक बुराई बताना राज्यों के समकालिक पक्षों से भ्रम मोड़ना है। राज्य द्वारा जीवन की मूल आवश्यकता, सामूहिक कल्याण, विकास, शिक्षण से (पाठों की अपेक्षा) जिस रूप में की जाती है उसकी कदापि अनदेखी नहीं की जा सकती। अस्तु के अनुसार, राज्य जीवन के लिये अस्तित्व में आया और संवृष्ट जीवन के लिये अस्तित्व में बना हुआ है।

Teacher's Signature .....

(2) राज्य के कार्य चोट मानव स्वतंत्रता पर स्पष्ट विरोधी नहीं -

राज्य द्वारा किये गये कार्य, निर्मित कानून से व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित नहीं होती बल्कि उसकी भी रक्षा होती है।

निर्भयता का अभाव स्वतंत्रता के व्यापक स्वतंत्रता का माहौल पैदा कर सकती है।

(3) मानवीय कार्यों का विभाजन अव्यवहारिक -

व्यक्तिवाद में मानवीय कार्यों को आत्म एवं पर विषयक वर्गों में बांटा

अनुचित है क्योंकि मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी होने के नाते उसके कार्य का प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव समाज पर पड़ता ही है।

बहरने भी रहा है कि, व्यक्ति चोट समाज के विरोध की रूपना जैसा विचार सही नहीं है।

(4) समाज से बंधी दृष्टिकोण पूर्ण -

व्यक्तिवाद का मनुष्यों को प्रकृति से स्वतंत्र चोट स्वयं में परिपूर्ण गुण

चोट शक्ति से परे मानना भी गलत है

क्योंकि समाज के अभाव में मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है।

(5) मनुष्य सदैव अपने चित्त का सर्वोत्तम निर्मायक नहीं होता - मनुष्यों के

प्रत्येक स्वयंसेवा में अपने लिए ही सर्वोत्तम निर्णय नहीं मांगा जा सकता है। व्यक्ति की नैतिक, नैतिक, बौद्धिक आवश्यकताओं का उसकी अपेक्षा समाज ही तो उचित निर्णय हो सकता है। सामाजिक जीवन की जरूरतों में समाज एके एक शक्ति ही व्यक्ति को कुलीन और संपन्न किया जा सकता है।

(6) प्राणी के नैतिक तर्क अंतर्गत - योग्यता को सर्वोत्तम करना समाज के पक्ष में है। पशुजगत एवं मानव जगत के मध्य अंतर को समझना आवश्यक है। मानव समाज के लिये पारस्परिक सहायता और नैतिक सिद्धांत आवश्यक है। हम लाले के अनुसार, राज्य एक मानवीय संस्था है और उसे पशुजगत के नियमों से शासित नहीं होना चाहिए। (20)

(20)